प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल (म.प्र.)

क्रमॉक– भो.दू.के. / सा.प्रशा. / 45(6)2019–20 /

दिनॉक– 06.07.2020

प्रति,

....

....

विषयः– पीने के पानी की आपूर्ति (20 लीटर पानी के जार) हेतु कोटेशन आमंत्रण पत्र ।

दूरदर्शन केन्द्र भोपाल द्वारा केन्द्र में पीने के पानी की आपूर्ति (20 लीटर पानी के जार) बावत नीचे उल्लेखित शर्तों के अधीन संलग्न प्रारूप में मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

01 फर्मो को अपने कोटेशन संलग्न प्रारूप में ठीक ढंग से भरकर स्वयं के लेटर हेड के साथ नत्थी कर भेजने होंगे तथा उक्त प्रारूप बिना कॉट–छॉट के भरकर अपनी फर्म की मोहर सहित हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।

02 जिन वस्तुओं की दरें इस "कोटेशन" आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न प्रारूप में मांगी गई है। केवल उन्हीं वस्तुओं (सामग्री) की दरें कोटेशन में भरी जावे। उक्त में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी व वस्तुएं भी पूर्व निर्धारित, मापदण्ड की ही होना चाहिए।

03 फर्म / फर्मो को मध्यप्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम (विक्रय कर) अथवा गुमाश्ता एक्ट (शॉप एक्ट) (जीएसटी न.) के अधीन पंजीकृत होना अनिवार्य है। एवं मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापन अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है । जो फर्म उक्त में से किसी भी अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं है उनके कोटेशनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

04 यदि वस्तु जीएसटी के दायरे में है तो फर्म का जीएसटी पंजीयन होना अनिवार्य है । कृपया प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

05 फर्म / फर्मों द्वारा कोटेशन में दी जाने वाली दरें सभी करों / व्ययों आदि सहित होनी चाहिए अर्थात फर्मों द्वारा कोटेशन में भरी केन्द्र द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त कोई भी राशि किसी भी मद में देय / भुगतान योग्य नहीं होगी।

06 सामग्री फर्म / फर्मो को स्वयं के व्यय से केन्द्र की तृतीय तल पर स्थित लेखन सामग्री स्टोर में उपलब्ध करानी होगी, जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त सामग्री के परिवहन के दौरान होने वाली किसी भी "दुर्घटना, चोरी आदि में हुये नुकसान हेतु केंद्र जवाबदेह नहीं होगा।

07 प्रति दिन पानी बॉटल सप्लाई के दौरान लॉग बुक / कार्ड के माध्यम से चयनित स्थानों पर पानी बॉटल सप्लाई किया जावेगा जिस पर सम्बन्धित अनुभाग द्वारा काउण्टर साईन होने पर ही बिल का भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा ।

क्रमशः

08 फर्म द्वारा प्रदान की गई सामग्री त्रुटिपूर्ण, खराब, उचित मापदन्ड की न पाए जाने पर इसे बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के बदलने/वापस लेने हेतु फर्म जबावदेह रहेगी। पानी बॉटल की सप्लाई ISI marking Conforming to IS: 14543, BIS and FSSAI के गुणवत्ता का होना आवश्यक है । एवं पानी बॉटल एक सप्ताह से अधिक पुरानी नही होनी चाहिये । उक्त बॉटल पर एम.आर.पी. एवं बैच नम्बर होना आवश्यक है ।

09 विक्रेता द्वारा यदि ग्राउण्ड वाटर का उपयोग किया जाता है तो कार्यालय द्वारा जब भी गुणवत्ता सम्बन्धित प्रमाण पत्र की मॉग की जाती है तो सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथार्टी से प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होंगा ।

10 क्रेता एव विक्रेता दोनों के मध्य सर्विस अनुबन्ध किया जाएगा। जो दोनों पक्षों का मान्य होंगा ।

11 कोटेशन मुहरबंद लिफाफों में केवल पंजीकृत अथवा त्वरित डाक/हाथों हाथ इस प्रकार भेजे जाए कि वे **दिनांक 24.07.2020 को दोपहर 03 बजे अधोहस्ताक्षरी के पास अनिवार्यता प्राप्त हो जाए**, जो कि उसी दिन **सांय 04** बजे उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाएंगे। उक्त लिफाफों के ऊपर **पीने के पानी की आपूर्ति हेतु कोटेशन**" मोटे अक्षरों में वाक्य अवश्य लिखा जाए। निर्धारित तारीख व समय के बाद प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

12 उक्त कोटेशन प्रथम दृष्टया प्रथम प्रदाय आदेश जारी होने के दिनांक से **एक वर्ष हेतु मान्य होगा**, जो कि फर्म व कार्यलय प्रमुख की सहमति से आगामी आदेश तक आगे बढ़ाया जा सकेंगा ।

13 उक्त कोटेशन के आमंत्रण संबंधी कार्यवाही अथवा फर्म/फर्मों द्वारा प्रस्तुत कोई भी कोटेशन किसी भी समय बगैर कोई कारण बताए निरस्त करने का तथा अवधि बढ़ाने का अधिकार कार्यालय प्रमुख के पास सुरक्षित रहेगा।

14 फर्म द्वारा जीएसटी एक्ट 2017 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की रिटर्न भरने में देरी करने व अन्य ऐसी कोई कार्यवाही जिसमें दूरदर्शन केन्द्र भोपाल को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई फर्म से करने के लिए उपमहानिदेशक (अभि0), दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल स्वतंत्र रहेंगे।

15 किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत व कार्यलय प्रमुख द्वारा कोटेशन बिना कोई कारण बताए किसी भी समय (चाहे व कोटेशन स्वीकृति से एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही क्यों न हो) निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख महोदय के पास सुरक्षित रहेगा।

16 दोनों पक्षों में कोई विवाद की स्थिति में कार्यालय अथवा दूरदर्शन केन्द्र भोपाल द्वार नामित आर्विटेटर के द्वारा विवाद का निराकरण किया जायेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

भवदीय,

(अब्राहम थॉमस)
प्रशासनिक अधिकारी
कृते कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपिः— 1. नोडल अधिकारी को वेव साइड पर अपलोड करने हेतु ।
2. सूचना पटल ।

दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल (म.प्र.) में पीने के पानी की सप्लाई हेतु कोटेशन आमंत्रण

कमॉक	विवरण	मात्रा	मूल्य प्रति नग
01	20 लीटर जार में पीने का पानी	प्रति 20 लीटर जार (मासिक खपत 300 जार लगभग)	

नोटः– 1. जीएसटी सहित मूल्य दर्ज करें ।

2. कृपया फर्म के लेटर हेड के साथ निविदा बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करें ।